

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 07, गुरुवार, शके 1947- फरवरी 26, 2026 Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 26, 2026

संख्या एफ. 13(20)विशा/विस/2025/ :- महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2025 जैसा कि दिनांक 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।
2025 का विधेयक सं.20

महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान राज्य में जयपुर में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा को प्रोन्नत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए; और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की, धारा 25 के अधीन यथा-गठित, विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

- (ख) "सलाहकार परिषद्" से धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;
- (ग) "संबद्ध महाविद्यालय" से कोई शिक्षा संस्था अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;
- (घ) "बोर्ड" से धारा 23 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) "नियंत्रक" से धारा 16 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (छ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;
- (ज) "वित्त समिति" से धारा 29 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (झ) "रा.शि.नी." से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभिप्रेत है;
- (ञ) "विहित" से परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "प्रतिकुलगुरु" से धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रतिकुलगुरु अभिप्रेत है;
- (ठ) "कुल-सचिव" से धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है;
- (ड) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से धारा 45, 47 और 49 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ढ) "विश्वविद्यालय का छात्र" से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ण) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (त) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है;
- (थ) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलगुरु, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो

या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, अंतरण या व्ययन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा जो कुलगुरु का मुख्यालय होगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरुद्ध वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और तामील की जायेंगी।

4. अधिकारिता.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा और अन्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालयों, संस्थाओं के सिवाय शारीरिक शिक्षा के समस्त महाविद्यालय और संस्थाएं, खेल अकादमियां, इकाईयां आदि, और ऐसे अन्य महाविद्यालय, संस्थाएं, संस्थान और विभाग, जिन्हें सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के अनुसार महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध होंगे।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) विश्वविद्यालय को प्रादेशिक सीमाओं के भीतर के किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालय जन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय को सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी खेलकूद महाविद्यालय, संस्था, इकाई आदि को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय, इकाई होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय, संस्था, इकाई आदि की समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय, संस्था, इकाई आदि के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा-

- (i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान का प्रसार करना;
- (ii) प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों का प्रोन्नत करना;
- (iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति और खेल नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना;
- (iv) राज्य में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद को शैक्षिक रूप से सभी स्तरों पर मानीटर करना;

परन्तु इस प्रकार मानीटर किये जाने से, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के क्रियाकलापों का किसी भी प्रकार से अतिलंघन नहीं किया जायेगा;

- (v) शारीरिक शिक्षा और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च अर्हताप्राप्त प्रशिक्षक, लीडर तैयार करना;
- (vi) खेल के और विकास हेतु, उच्चतर क्षमता वाले मानव संसाधन का सृजन करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- (vii) खेल विज्ञान में अनुसंधान के लिए और इसके प्रायोगिक अनुप्रयोग में खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के उन्नयन के लिए प्रमुख और सर्वोत्तम खेल केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- (viii) खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का एक केन्द्र (उच्चतर प्रदर्शन शिक्षण केन्द्र) बनाना;
- (ix) एथलीटों के मूल्यांकन, निदान, बचाव और उपचार हेतु व्यापक खेल चिकित्सा केन्द्र बनाना;
- (x) अन्तरराष्ट्रीय मानकों की नवीनतम इनडोर और आउटडोर खेलकूद अवसंरचना उपलब्ध कराना; और
- (xi) संकाय की अदला-बदली के लिए और देश तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधान में सहयोग करने के लिए एक केन्द्र उपलब्ध कराना।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समस्त व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-

- (क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तर नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या
- (ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, बनाये रखना; या
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या बनाये रखना; या

(घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाना, अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों और महिला छात्रों के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबंध करना और अनुसंधान, शिक्षा शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए ऐसी संस्थाएं और केन्द्र स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (ख) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए ऐसे उपबंध करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (ग) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम विहित करना और शिक्षा पद्धतियों और प्रदान करने की कार्यपद्धतियों में लचीलेपन के लिए उपबंध करना;
- (घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अनुसंधान और शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्र, या अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (ङ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार, पदक और अन्य पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- (छ) समान या समरूप उद्देश्यों वाले अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और प्राधिकारियों के साथ सहयोग और सहयोजन करना, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से छात्रों को प्रवेश देना;
- (झ) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना या वसूल करना, जो विहित किये जायें;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ट) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

- (ठ) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की, उनकी आचार संहिता को सम्मिलित करते हुए, सेवा की शर्तें अधिकथित करना;
- (ड) छात्रों और कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विहित किये जायें या विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जायें;
- (ढ) छात्रों के निवास के लिए हाल और छात्रावास और विश्वविद्यालय के संकायों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वास-सुविधा और अतिथि गृह स्थापित, संधारित करना और उनका प्रबंध करना;
- (ण) छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण का प्रोन्नयन करने के लिए व्यवस्था करना;
- (त) विश्वविद्यालय के व्यय का विनियमन करना और वित्त का प्रबंध करना और लेखे रखना;
- (थ) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और उन उद्देश्यों से, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, संगत अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना और किन्हीं भी अनुदानों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों और निकायों के साथ करार करना;
- (द) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, ऐसी भूमि या भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, क्रय करना, अर्जित करना, उनका व्ययन करना और किन्हीं भी ऐसे भवनों या संकर्मों का सन्निर्माण, परिवर्तन और संधारण करना;
- (ध) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली आस्तियों के संबंध में अन्तरण, बंधक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां, करार और अन्य हस्तान्तरण-पत्र निष्पादित करना;
- (न) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना; और
- (प) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जिन्हें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने या अग्रसर करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

8. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

9. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय, निर्धारित की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो

कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी-

- (i) कुलगुरु;
- (ii) प्रतिकुलगुरु;
- (iii) कुल-सचिव;
- (iv) नियंत्रक;
- (v) संपदा अधिकारी;
- (vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष; और
- (viii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी-

- (i) सलाहकार परिषद्;
- (ii) प्रबंध बोर्ड;
- (iii) विद्या परिषद्;
- (iv) संकाय;
- (v) अध्ययन बोर्ड;
- (vi) वित्त समिति; और
- (vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

11. कुलगुरु.- (1) कुलगुरु विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एक खिलाड़ी; और
 (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,
 और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलगुरु की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलगुरु, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(4) जब कुलगुरु के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलगुरु के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलगुरु के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) उप-धारा (1) से उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलगुरु राज्य सरकार की सलाह से, कुलाधिपति द्वारा, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(7) कुलगुरु अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलगुरु को दी जाये।

12. कुलगुरु का हटाया जाना.- (1) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलगुरु इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलगुरु का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलगुरु को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी भी समय जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलगुरु को निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा तब तक कोई भी आदेश नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलगुरु को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए, कुलाधिपति यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलगुरु, कुलगुरु के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा, जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलगुरु के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13. कुलगुरु की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) कुलगुरु विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलगुरु बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलगुरु, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों या निकायों, जैसेकि विहित किये जायें, की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलगुरु का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलगुरु इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलगुरु की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलगुरु ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलगुरु द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलगुरु, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलगुरु, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

14. प्रतिकुलगुरु.- विश्वविद्यालय का प्रतिकुलगुरु ऐसी रीति से, और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जैसेकि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलगुरु के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुल-सचिव बोर्ड, विद्या परिषद् और ऐसे किसी भी प्राधिकारी का पदेन सदस्य-सचिव होगा जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

(4) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकायों, अध्ययन बोर्डों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठकें बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा।

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलगुरु का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलगुरु को सलाह देगा और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलगुरु के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने, या यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा।

(ii) खण्ड (i) के अधीन संसूचित किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलगुरु, कार्यवाहियों, या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल-सचिव धारा 44 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किये जायें या जिनकी कुलगुरु या बोर्ड द्वारा उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

16. नियंत्रक.- (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलगुरु के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नियंत्रक, राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) नियंत्रक,-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमाओं से अधिक न हों, और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टॉक की जांच की जाती है;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और किसी भी अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलगुरु के ध्यान में

लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

- (छ) ऐसे किसी भी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा, जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और
- (झ) धारा 36, 37 और 38 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

17. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.- (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) सम्पदा अधिकारी; और
- (ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना;
- (ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;
- (ग) कुलगुरु द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;
- (घ) छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और
- (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

18. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.- (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलगुरु द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे, जो विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.- धारा 10 के खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

21. सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना.- (1) विश्वविद्यालय की एक सलाहकार परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला, शारीरिक शिक्षा और खेलों में राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एक व्यक्ति, जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) कुलगुरु;
- (iii) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान;
- (iv) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
- (v) कार्यकारी निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला;
- (vi) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले ऐसे दो प्रमुख खिलाड़ी, जो कि अन्तरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में रैंफरी या अम्पायर के कार्य के लिए मान्यताप्राप्त हों;
- (vii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, पांच खिलाड़ी, जिन्होंने ओलम्पिक या विश्व चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया हो;
- (viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, राज्य से संबंध रखने वाले अर्जुन पुरस्कार/ द्रोणाचार्य पुरस्कार/गुरु वशिष्ठ पुरस्कार/ महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त दो खिलाड़ी, जिन्होंने देश या राज्य का अन्तरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो;
- (ix) संकायाध्यक्ष (फिजियोथैरेपी), राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर;
- (x) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

(2) सलाहकार परिषद् की बैठक में, एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या, जो विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्ययों के हकदार होंगे, जो विहित किये जायें।

(5) सलाहकार परिषद् की बैठकों का कार्यवृत्त सलाहकार परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

22. सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य.- सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में, विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए, उपायों का सुझाव देना;

(ख) ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिससे विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन हो सके, कुलगुरु को सलाह देना; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य और कृत्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

23. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.- (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(I) विश्वविद्यालय का कुलगुरु - पदेन अध्यक्ष;

(II) पदेन सदस्य-

- (i) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान;
- (ii) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान;
- (iii) प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान;
- (iv) प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान;
- (v) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान;
- (vi) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्;
- (vii) निदेशक, शारीरिक शिक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर;
- (viii) प्रतिकुलगुरु; और
- (ix) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- (i) से (v) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(III) नामनिर्देशित सदस्य-

- (i) कुलगुरु द्वारा, संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
- (ii) कुलगुरु द्वारा, एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
- (iii) कुलाधिपति द्वारा, तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, एक राजकीय महाविद्यालयों से और दूसरा निजी महाविद्यालयों से;
- (v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और
- (vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, अर्जुन पुरस्कार/ द्रोणाचार्य पुरस्कार/गुरु वशिष्ठ पुरस्कार/महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त दो खिलाड़ी।

(2) बोर्ड की बैठक में, एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्ययों के हकदार होंगे, जो विहित किये जायें।

(5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

24. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.- बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;
- (ग) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबंध करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना, जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (ञ) ऐसे समय पर और इतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

25. विद्या परिषद्.- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) कुलगुरु- पदेन अध्यक्ष;
- (ख) प्रतिकुलगुरु;
- (ग) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (घ) प्रत्येक संकाय से, कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाला एक आचार्य;

- (ड) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;
- (च) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (छ) खेलकूद अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- (ज) संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक राजकीय महाविद्यालयों से और दूसरा निजी महाविद्यालयों से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- (झ) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- (ञ) कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित, आचार्यों से भिन्न घटक महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय विभाग से, एक शिक्षक, जिसके पास डिग्री या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;
- (ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्यों से भिन्न, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से, एक शिक्षक, जिसके पास डिग्री या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और
- (ठ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

26. विद्या परिषद् के कृत्य.- (1) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् का शैक्षणिक कार्यकलापों पर नियंत्रण होगा और वह उनका साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए और उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं के लिए उत्तरदायी होगी।
विद्या परिषद्-

- (i) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण रखेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ii) या तो अपनी स्वयं की पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड से निर्देश पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करेगी और उन पर समुचित कार्रवाई करेगी; और
- (iii) छात्रों के अनुशासन को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण के बारे में ऐसे विनियमों की, जो इस अधिनियम से संगत हों, बोर्ड को सिफारिश करेगी।

(2) विद्या परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और समस्त शैक्षणिक मामलों में कुलगुरु को सलाह देगी।

27. संकायों की संरचना और कृत्य.- (1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष- अध्यक्ष;
- (ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;
- (ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष; और
- (घ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

28. अध्ययन बोर्ड.- (1) अध्ययन बोर्ड इतने होंगे, जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

29. वित्त समिति.- (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) कुलगुरु, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ख) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;
- (ग) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;
- (घ) प्रतिकुलगुरु;
- (ङ) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला, बोर्ड का एक सदस्य;
- (च) बोर्ड द्वारा, चक्रानुक्रम में, नामनिर्देशित किये गये दो आचार्य; और
- (छ) नियंत्रक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) और (च) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

30. वित्त समिति के कृत्य.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वित्त समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उन पर बोर्ड को सलाह देना;

- (ii) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;
- (iii) विश्वविद्यालय के समस्त वित्तीय नीतिगत विषयों पर बोर्ड को सिफारिश करना;
- (iv) निधियां जुटाने, प्राप्तियों और व्यय को अन्तर्वलित करने वाले समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (v) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- (vi) ऐसे समस्त प्रस्तावों पर, जिनमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो, जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो या जिनके लिए बजट उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किये जाने की आवश्यकता हो, बोर्ड को सिफारिश करना;
- (vii) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मदों, जो बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व बजट में सम्मिलित न की गयी हों, संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और
- (viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का "पालन" करना जो उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

31. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या इसके संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किया जायेगा।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा, और उनके अध्यक्षीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

32. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा को कुलगुरु के पास रखा जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। यह संविदा, सेवा की शर्तों के संबंध में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

33. सेवानिवृत्ति की आयु.- परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

34. पेंशन या भविष्य निधि.- (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेन्शन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा, जो वह उचित समझे।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं.19) के उपबंध किसी निधि या बीमा स्कीम पर इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह राज्य सरकार की निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या विनिधान करेगा।

(3) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवाओं में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ-सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

35. छात्रों का निवास.- छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये या विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, कुलगुरु द्वारा अनुमोदित आवास में निवास करेंगे।

36. विश्वविद्यालय निधि.- (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रशासन करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;

(ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) ऐसे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

37. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलगुरु के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड की वार्षिक बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलगुरु द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी, जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा, जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

38. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वर्तित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और
- (छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी, जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

39. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

40. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्देशित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य रहेगा

जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्ति नहीं हुई होती तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद, विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, धारण करेगा और तत्पश्चात् तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित या, यथास्थिति, नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए या ध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने के लिए या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार हो, या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

41. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

42. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान पदों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.- जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसाकि राज्य सरकार निदिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

43. सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के

कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो ऐसी सूचना राज्य सरकार को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर देगा।

44. वार्षिक रिपोर्ट.- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलगुरु के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में, बोर्ड की वार्षिक बैठक जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

45. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा, और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति या नामनिर्देशन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा-शर्तें;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा-शर्तें और अर्हताएं;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- (च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;
- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी उपलब्धियां, और उनकी सेवाओं और क्रियाकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और
- (ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा, या जो आर्डिनेन्सों और विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

46. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.- (1) बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से परिनियम बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड, किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप-परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

47. आर्डिनेन्स.- इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ख) परीक्षाओं की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए, परीक्षाओं का संचालन;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य निवास-स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और
- (ङ) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिस पर इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किया जाना अपेक्षित हो।

48. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.- (1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा, शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे, भागतः या पूर्णतः, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे

किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

49. विनियम.- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा-

- (क) अपनी बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकृत करना;
- (ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा, उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
- (ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

50. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, प्रयोग की जाने के लिए परिनियमों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

51. अस्थायी व्यवस्थाएं.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलगुरु द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलगुरु अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा।

52. अवशिष्ट उपबंध.- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से

विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा।

53. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा-

- (क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा, या
- (ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों, या
- (ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे आदेशों में से किसी भी आदेश में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस विषय में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या सदस्य होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलगुरु और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, इस प्रकार निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार को प्रोन्नत करने की दृष्टि से और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र 2024-25 में की गयी घोषणा का अनुपालन करने के लिए, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से जयपुर में एक नया खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(22) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025)

प्रेषक: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, जयपुर में “महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर” की स्थापना करने के लिए ईप्सित है। विश्वविद्यालय की स्थापना में अंतर्वर्लित अनावर्ती और आवर्ती व्यय की गणना कर ली गयी है।

यह प्राक्कलित किया गया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 101.50 करोड़ रुपये अनावर्ती व्यय और 5.50 करोड़ रुपये आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष अंतर्वर्लित होगा, जो समय के साथ बढ़ सकता है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 45, 47 और 49, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारियों को उक्त खण्डों में प्रगणित मामलों के संबंध में परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में जयपुर में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा को प्रोन्नत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए; और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No.20 of 2025

(Authorised English Translation)

THE MAHARANA PRATAP SPORTS UNIVERSITY, JAIPUR BILL, 2025

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill*

to establish and incorporate a Sports University at Jaipur in the State of Rajasthan for promotion of Sports, Physical Education and to achieve aims and objects of National Education Policy; and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Maharana Pratap Sports University, Jaipur Act, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

- (a) “Academic Council” means the Academic Council of the University as constituted under section 25;
- (b) “Advisory Council” means the Advisory Council of the University constituted under section 21;
- (c) “affiliated college” means an educational institution admitted to the privileges of the University;
- (d) “Board” means the Board of Management of the University constituted under section 23;
- (e) “Comptroller” means the finance officer of the University appointed under section 16;
- (f) “constituent college” means a college maintained by the University;
- (g) “Faculty” means a Faculty of the University;
- (h) “Finance Committee” means the Finance Committee of the University constituted under section 29;
- (i) “NEP” means National Education Policy issued by the Central Government from time to time;
- (j) “prescribed” means prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations;
- (k) “Pro-Vice-Chancellor” means the Pro-Vice-Chancellor of the University appointed under section 14;
- (l) “Registrar” means the Registrar of the University appointed under section 15;
- (m) “Statutes”, “Ordinances” and “Regulations” mean the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under sections 45, 47 and 49 respectively;

- (n) “student of the University” means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;
- (o) “teacher” means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher;
- (p) “University” means the Maharana Pratap Sports University, Jaipur incorporated under section 3;
- (q) “University Department” means a Department maintained by the University.

3. Incorporation of the University.- (1) *The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of “The Maharana Pratap Sports University, Jaipur” and shall have perpetual succession and a Common Seal and may, by that name, sue and be sued.*

(2) *The University shall be competent, to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University and, to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:*

Provided that no such lease, sale, transfer or disposal of such property shall be made without the prior approval of the State Government.

(3) *The headquarters of the University shall be at Jaipur which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.*

(4) *In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.*

4. Jurisdiction.- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the jurisdiction of the University shall extend to whole of the State of Rajasthan and all colleges and institutions of Physical education, Sports Academies, units etc., except constituent colleges, institutions of other Universities, and such other colleges, institutes, institutions and departments as may be specified by notification in the Official Gazette by the State Government, shall be affiliated to the Maharana Pratap Sports University, Jaipur in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made under this Act.

(2) The State Government may, by order in writing,-

- (a) require any institute, institution or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State

Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government Sports College, institution, unit, etc., situated in the jurisdiction of the University to be a constituent college, unit of the University. All the movable and immovable properties of such college, institution, unit etc. shall then vest in the University and the officers, teachers and employees of such college, institution, unit, etc., after being found suitable through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or, as the case may be, employees of the University.

5. Objects of University.- The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purpose, among others, of-

- (i) education, research and dissemination of knowledge in physical education and sports;
- (ii) to promote coaches and sports specialists;
- (iii) to achieve aims and objects of National Education Policy and Sports Policy;
- (iv) to monitor physical education and sports at all levels in the State academically:

Provided that such monitoring shall not infringe the activities of the Rajasthan State Sports Council in any manner;

- (v) to prepare highly qualified coaches, leaders in the field of physical education and sports coaching;
- (vi) to function as a Centre of Excellence in Academics for generating human resource of higher caliber, for further development of sports;
- (vii) to be the premier and elite sports center for research in sports science and its practical application, for improving the sports performance of sportspersons;
- (viii) to be the hub of training (Higher Performance Training Centre) for sportspersons;
- (ix) to be a comprehensive Sports Medicine Centre for evaluation, diagnosis, prevention and treatment of athletes;
- (x) to provide the latest sports infrastructure of international standards, indoor and outdoor; and
- (xi) to provide a center for faculty exchange and for collaborating research among the various universities in the country and abroad.

6. Admission to the University.- (1) The University shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations, be open to all persons.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall require the University-

- (a) to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard; or
- (b) to retain on the rolls of the University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of a degree, diploma or other academic distinction; or

- (c) to admit any person or retain any student whose conduct is prejudicial to the interests or discipline of the University or the rights and privileges of other students and employees; or
- (d) to admit to any course of study students larger in number than those prescribed.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), reservation of seats in admission for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, More Backward Classes, Economically Weaker Section and women students shall be made in accordance with the provisions of any law for the time being in force or in accordance with the policy of the State Government.

7. Powers and functions of the University.- The University shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to administer and manage the University and to establish such institutes and centers for research, education, instruction and training as are necessary for the furtherance of the objects of the University;
- (b) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge as is necessary for the furtherance of the objects of the University;
- (c) to prescribe courses and curricula and provide for flexibility in the education systems and delivery methodologies;
- (d) to establish, with the prior approval of the State Government, such centers, or other units for research and instruction as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
- (e) to institute and confer degrees, diplomas and other academic distinctions and awards in the manner prescribed by the Statutes;
- (f) to institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;
- (g) to collaborate or associate with other Universities, institutions and authorities with like or similar objects, as the University may determine;
- (h) to admit the students for the courses offered by the University in the prescribed manner;
- (i) to fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed;
- (j) to institute teaching, research and other posts required by the University and to make appointments thereto;
- (k) to create administrative, ministerial and other necessary posts and make appointments thereto;
- (l) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;
- (m) to regulate and enforce discipline among the students and all categories of the employees and to take such disciplinary measures

- in this regard as may be prescribed or deemed by the University to be necessary;
- (n) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and accommodation for faculties, officers and employees of the University and the guest houses;
 - (o) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the students and employees;
 - (p) to regulate the expenditure, and to manage the finances and to maintain accounts of the University;
 - (q) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established and to enter into any agreement with the Central Government, the State Government, the University Grants Commission or other authorities or bodies for receiving any grants;
 - (r) to purchase, acquire, take on lease or dispose, with the prior approval of the State Government, any land or building or works which may be necessary for the purpose of the University on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct, alter and maintain any such buildings or works;
 - (s) to execute conveyances regarding transfers, mortgages, leases, licences, agreements and other conveyance in respect of the assets of the University or to be acquired for the purpose of the University, after taking prior permission of the State Government;
 - (t) to borrow, with the prior approval of the State Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University; and
 - (u) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of the objects of the University.

8. Chancellor.- (1) The Governor of the State of Rajasthan shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at the convocations thereof and confer degrees, diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them.

(3) The Chancellor may of his own motion or on application call for and examine the record of any officer or authority of the University in respect of any proceeding to satisfy himself as to the regularity of such proceeding or the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein; and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, he may pass orders accordingly:

Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on or assigned to him by or under this Act.

9. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons, as he may direct—

- (a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or
- (b) of any institute, institution or hostel maintained by the University; or
- (c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
- (d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

10. Officers and Authorities of the University.- The following shall be the officers and authorities of the University, namely:-

- (a) Officers of the University-
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Pro-Vice-Chancellor;
 - (iii) the Registrar;
 - (iv) the Comptroller;
 - (v) the Estate Officer;
 - (vi) the Dean of Student Welfare;
 - (vii) the Deans of Faculties; and
 - (viii) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

- (b) Authorities of the University-
 - (i) the Advisory Council;
 - (ii) the Board of Management;
 - (iii) the Academic Council;
 - (iv) the Faculties;
 - (v) the Board of Studies;
 - (vi) the Finance Committee; and
 - (vii) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

11. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of-

- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
 - (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
 - (c) one sportsperson of international eminence nominated by the Chancellor; and
 - (d) one person nominated by the State Government,
- and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for carrying on the functions of the office of the Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section (5), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.

(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

12. Removal of Vice-Chancellor.- (1) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1), the Chancellor may order that till further order-

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

13. Powers and duties of the Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* Chairman of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration matters of concern to the University. He shall have power to convene the meetings of the Board and the Academic Council and such other authorities or bodies as may be prescribed.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) In an emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within thirty days of the date on which the action is communicated to him.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed.

14. Pro-Vice-Chancellor.- The Pro-Vice-Chancellor of the University shall be appointed in such manner, for such period, on such terms and conditions and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

15. Registrar.- (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale).

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Member-Secretary to the Board, the Academic Council and any other authority declared by the Statutes to be the Authority of the University.

(4) It shall be the duty of the Registrar-

- (a) to be the custodian of the records, the Common Seal and such other properties of the University as the Board shall commit to his charge; and
- (b) to issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council, the Faculties, the Board of Studies, and of any committee appointed by the authorities of the University.

(5) (i) Where any proceedings or resolution of the Board or order of the Vice-Chancellor is inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, it shall be the duty of the Registrar to tender advice to the Board or the Vice-Chancellor mentioning the relevant provisions and record in the proceedings of the meeting of the Board or on the order of the Vice-Chancellor the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution, the order or as the case may be, and ensure the communication of the matter to the Chancellor or any officer authorized by him in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

(ii) After examining the note of dissent communicated under clause (i), the Chancellor or the officer authorized in this behalf by him, may make such interim or final order as he thinks fit, which shall be binding on the University:

Provided that if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Board or, as the case may be, the Vice-Chancellor may proceed with the proceedings or the resolution or, as the case may be, the order as if the dissent note was not put up.

(6) The Registrar shall be responsible to ensure the compliance of the provisions of section 44.

(7) The Registrar shall exercise such powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be prescribed or required of him from time to time by the Vice-Chancellor or by the Board.

16. Comptroller.- (1) The Comptroller shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Comptroller shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service (not below selection scale).

(3) The Comptroller shall be the *ex-officio* Member-Secretary to the Finance Committee.

(4) The Comptroller shall-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policy;
- (b) manage the property and investments of the University including trust and endowed property in accordance with the decision of the Finance Committee and the Board; and
- (c) exercise such other powers and perform such other financial functions, as may be assigned to him by the Board, or as may be prescribed:

Provided that the Comptroller shall not incur any expenditure or make any investment exceeding such amount as may be prescribed except with the prior approval of the Board.

(5) Subject to the control of the Board, the Comptroller shall-

- (a) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
- (b) be responsible for the preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the University and for their presentation to the Finance Committee and the Board;
- (c) keep a constant watch on the cash and bank balances and of investments;
- (d) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
- (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date, and that stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutions maintained by the University;
- (f) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment and to bring to the notice of the Vice-Chancellor and the Registrar any unauthorized expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons at fault;
- (g) disallow any expenditure which may contravene the terms of any statute or for which provision is required to be made by a statute but has not been made;
- (h) call from any office, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns as he may consider

necessary for the exercise of his powers, performance of his functions or discharge of his duties; and

- (i) ensure the compliance of the provisions of sections 36, 37 and 38.

17. Estate Officer and Dean of Student Welfare.- (1) The Board may appoint any one or more of the following officers, namely:-

- (a) the Estate Officer; and
- (b) the Dean of Student Welfare.

(2) The Estate Officer shall be in-charge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The Dean of Student Welfare shall have the following duties:-

- (a) to make arrangements of the housing of students;
- (b) to direct programmes of student's counselling;
- (c) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor;
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students;
- (e) to assist in the placement of the graduates of the University; and
- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University.

18. Deans of Faculties and their functions.- (1) There shall be a Dean of each Faculty.

(2) The Deans of Faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in the manner as may be prescribed.

(3) The Deans shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

19. Other Officers and employees.- The mode of appointment and the functions of other officers mentioned in clause (a) of section 10 and of the employees of the University shall be as provided in this Act or as prescribed by Statutes, Ordinances and Regulations.

20. Remuneration of officers and employees.- No officer or employee of the University shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save as may be provided for in the Statutes.

21. Constitution and composition of the Advisory Council.- (1) There shall be an Advisory Council of the University which shall consist of the following members, namely:-

- (i) a person of national eminence in Physical Education and Sports, to be appointed by the Chancellor, who shall be the Chairperson of the Advisory Council;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Youth Affairs and Sports Department;
- (iv) Chairman, Rajasthan State Sports Council or his nominee;
- (v) Executive Director, Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala;
- (vi) two prominent sportspersons who are recognized for refereeing or umpiring at international sports events, to be nominated by the Chancellor;

- (vii) five sportspersons who have represented the country at Olympics or World Championships, to be nominated by the State Government;
- (viii) two sportspersons belonging to the State who have represented the country or State at international or national level having Arjun Award/ Dronacharya Award/ Guru Vasistha Award/ Maharana Pratap Award to be nominated by the State Government;
- (ix) Dean (Physiotherapy), Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur;
- (x) Registrar of the University, Member-Secretary.

(2) One-third members present at a meeting of the Advisory Council shall constitute the quorum for meeting.

(3) The Chairman of the Advisory Council shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed.

(5) The minutes of meeting of the Advisory Council shall be recorded and maintained by the Member-Secretary of the Advisory Council.

22. Duties and functions of the Advisory Council.- The duties and functions of the Advisory Council shall be as follows:-

- (a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University in regard to the attainment of the objects;
- (b) to advise the Vice-Chancellor in respect of any matter that may guide the University in respect of its objects; and
- (c) such other duties or functions as may be prescribed by the Statutes.

23. Constitution and composition of the Board of Management.- (1) The Board shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following members, namely:-

(I) **The Vice-Chancellor** of the University- *Ex-officio* Chairman;

(II) ***Ex-officio* Members-**

- (i) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department;
- (ii) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Higher Education Department;
- (iii) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, School Education Department;
- (iv) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Medical Education Department;
- (v) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Youth Affairs and Sports Department;
- (vi) the Chairman, Rajasthan State Sports Council;
- (vii) the Director, Physical Education, University of Rajasthan, Jaipur;
- (viii) the Pro-Vice-Chancellor; and

(ix) the Registrar of the University, Member-Secretary.

Explanation.- *Ex-officio* members mentioned at (i) to (v) shall include their respective nominees who shall not be below the rank of a Deputy Secretary to the Government of Rajasthan;

(III) Nominated Members-

- (i) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans for one year;
- (ii) two University Professors nominated by the Vice-Chancellor for one year;
- (iii) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;
- (iv) two Principals of affiliated colleges, one from the Government colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government for one year;
- (v) two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years; and
- (vi) two eminent sportspersons of national or international stature having Arjun Award/ Dronacharya Award/ Guru Vasistha Award/ Maharana Pratap Award to be nominated by the State Government for three years.

(2) One-third members present at a meeting of the Board shall constitute the quorum for meeting.

(3) The Chairman of the Board shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed.

(5) The minutes of meeting of the Board shall be recorded and maintained by the Member-Secretary of the Board.

24. Duties and functions of the Board.- The duties and functions of the Board shall be as follows:-

- (a) to approve and sanction the budget of the University;
- (b) to acquire, to dispose of, to hold and to control the property and funds of the University and issue any general or special direction on behalf of the University;
- (c) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (d) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (e) to invest money belonging to the University;
- (f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed;
- (g) to direct the form and use of the Common Seal of the University;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary, as it deems necessary for its proper functioning;
- (i) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;

- (j) to meet at such times and as often as it deems necessary, provided however, that the regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months;
- (k) to make Statutes, Ordinances and Regulations in the manner prescribed in this Act for smooth functioning of the University; and
- (l) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

25. Academic Council.- (1) There shall be an Academic Council of the University, consisting of the following as members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor – *ex-officio* Chairman;
- (b) the Pro-Vice-Chancellor;
- (c) Deans of Faculties;
- (d) one Professor from each Faculty to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (e) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Youth Affairs and Sports Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of Rajasthan;
- (f) Chairmen, Boards of Studies;
- (g) two persons having special attainment in the field of sports studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government;
- (h) two Principals of affiliated colleges, one from Government Colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government;
- (i) two persons having special attainment in the field of studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government;
- (j) one teacher other than the Professors, from a constituent college/University Department having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (k) one teacher other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the State Government; and
- (l) the Registrar of the University, Member-Secretary.

(2) The term of office of nominated members shall be two years.

26. Functions of the Academic Council.- (1) Subject to provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and Regulations, the Academic Council shall have the control and general regulation of the academic affairs and be responsible for the maintenance of standards of instructions and examinations in the University and for the requirements for the award of degrees and diplomas. The Academic Council shall-

- (i) exercise control over the academic policies of the University and be responsible for the maintenance and improvement of standards of instruction, education and evaluation in the University;

- (ii) consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the Faculty of the University or the Board and take appropriate action thereon; and
- (iii) recommend to the Board, such Regulations as are consistent with this Act regarding the academic functioning of the University including discipline of students.

(2) The Academic Council shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes and shall advise the Vice-Chancellor on all academic matters.

27. Composition and functions of the Faculties.- (1) There shall be such Faculties in the University as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall consist of the following:-

- (a) Dean of the Faculty - Chairman;
- (b) University professors of the subjects assigned to the Faculty;
- (c) Chairmen of the Boards of Studies in the Faculty; and
- (d) two external experts nominated by the Academic Council.

(3) The faculty shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

28. Board of Studies.- (1) There shall be such number of Boards of Studies as may be determined by the Statutes.

(2) A Board of Studies shall be constituted in the manner, consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

29. Finance Committee.- (1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman of the Committee;
- (b) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department, or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (c) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Youth Affairs and Sports Department, or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (d) the Pro-Vice-Chancellor;
- (e) one member of the Board, to be nominated by the Board from amongst its non-official members;
- (f) two professors, by rotation, to be nominated by the Board; and
- (g) the Comptroller, who shall be the Member-Secretary of the Committee.

(2) The term of office of the members nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (1) shall be two years.

30. Functions of Finance Committee.- Subject to the other provisions of this Act, the Finance Committee shall broadly perform the following functions, namely:-

- (i) to examine the annual accounts and annual budget estimates of the University and to advise the Board thereon;
- (ii) to review from time to time the financial position of the University;
- (iii) to make recommendations to the Board on all financial policy matters of the University;

- (iv) to make recommendations to the Board on all proposals involving raising of funds, receipts and expenditure;
- (v) to provide guidelines for investment of surplus funds;
- (vi) to make recommendations to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or for which expenditure in excess of the amount provided in the budget needs to be incurred;
- (vii) to examine all proposals relating to the revision of pay-scales, upgradation of the scales and those items which are not included in the budget prior to placing before the Board; and
- (viii) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the Regulations.

31. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or its institutes and institutions.

(2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed.

(3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by Ordinances and, subject thereto, by the Regulations.

32. Teachers and Officers of the University.- (1) The appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

33. Age of retirement.- Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State Government in this regard, all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

34. Pension or provident fund.- (1) For the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, the University shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) The provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925), shall apply to a fund or an insurance scheme as if it were a State Government fund or scheme and the University shall contribute to or invest in such fund or scheme.

(3) Provision shall be made in the Statutes to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer.

35. Residence of students.- The students shall reside in accommodation provided by the University or approved by the Vice-Chancellor subject to the conditions prescribed.

36. University fund.- (1) The University shall establish, maintain and administer a fund to be called the University fund.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the University fund, namely:-

- (a) any contribution or grant by the State Government;
- (b) income arising to the University from all sources including income from fees and charges;
- (c) trusts, bequests, donation, endowments and other grants, if any;
- (d) such other money as may be prescribed by the Statutes.

(3) The matters to which the fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.

(4) All expenses incurred under and in pursuance of any provision contained in this Act shall be met out of the University fund.

(5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.

37. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

38. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including ex-gratia payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;

- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

39. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

40. Supplementary provisions relating to membership.- (1) All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University shall be filled as soon as possible by appointment or nomination according as the member whose place became vacant was appointed or nominated and the person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residuary period of the term for which the person whose place he fills would have continued but for the vacancy.

(2) A person who holds any office in the University by virtue of his holding any other office of the University or otherwise shall hold such office as long as he holds the other office and thereafter till his successor is duly nominated or appointed, as the case may be.

(3) The Board may remove any person not being an officer of the University from membership of any authority or body or any employee of the University on the grounds that such person or employee has been convicted of an offence involving moral turpitude or for taking part in subversive activities or for indulging in any act or acts unbecoming of the prestige of the University:

Provided that no such person or employee shall be removed under this subsection unless he has been afforded a reasonable opportunity of showing cause why he should not be so removed and such cause has been considered by the Board:

Provided further that prior approval of the State Government will be necessary for taking such action against a member of any authority or body of the University, nominated by the State Government.

(4) If any question arises regarding any person who has been appointed or nominated, as or is entitled to be, a member of any authority of the University subordinate to the Board or regarding any decision of the Board under this Act and the Statutes, the matter shall be referred to the Chancellor for his decision, and the decision of the Chancellor shall be final.

41. Proceedings of the University authorities and bodies not to be invalidated by reason of any vacancy.- No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalidated by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

42. Reference to Government officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding offices.- Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulations refer to an officer of the State Government by designation, then if that designation is altered or that office ceases to exist, the reference shall be construed as a reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding officer as the State Government directs.

43. Power to obtain information.- Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the State Government may, by order in writing, call for any information from the University on any matter relating to the affairs of the University and, the University shall, if such information is available with it, furnish the State Government with such information within a reasonable period.

44. Annual Report.- The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The Annual Report, as approved by the Board, shall be sent to the State Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

45. Statutes.- Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall, in particular, provide for the following:-

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the appointment or nomination and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the designation, manner of appointment, powers, duties and service conditions of the officers of the University;
- (d) the classification and manner of appointment of teachers and their service conditions and qualifications;
- (e) the constitution of pension, gratuity, insurance and provident funds for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (f) the conferment of honorary degrees;
- (g) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of departments;
- (h) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (i) the moneys to form part of and to be paid into the University fund and the matters to which the fund may be applied and appropriated;
- (j) the number and emoluments of teachers of the University and the preparation and maintenance of a record of their services and activities;
- (k) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and

- (1) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed otherwise than by the Ordinances and Regulations.

46. Statutes how made.- (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board in the manner hereinafter provided.

(2) The Board may take into consideration the draft of a Statute either on its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer, authority or body of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his assent thereto or send it back to the Board for reconsideration.

(5) No Statute passed by the Board shall be valid or shall come into force until assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section, the Chancellor may, either *suomoto* or on the advice of the State Government, direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Board fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

47. Ordinances.- Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the courses of study, admission or enrolment of students, fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (b) the conduct of examinations including the appointment of examiners and their terms and conditions;
- (c) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefor and other related matters;
- (d) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University; and
- (e) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

48. Ordinances how made.- (1) The Board may make, amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matter shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board, within four weeks of the receipt of the Ordinance, to suspend its operation, and he shall, as soon

as possible, inform the Board of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Board, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

49. Regulations.- (1) Every authority of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances-

- (a) laying down the procedure to be observed at its meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by the Regulations; and
- (c) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or the annulment thereof by any authority of the University.

50. Delegation of powers.- The Board may, by Statute, delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

51. Temporary arrangements.- (1) At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor, with the prior approval of the Chancellor, to carry on the duties of any such authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointment.

52. Residuary provision.- The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt within this Act. The decision of the Board on all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final and shall not be liable to be challenged in any Court or Tribunal.

53. Removal of difficulties.- (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in the area and in matters covered by this Act, by order published in the Official Gazette-

- (a) direct that this Act shall during such period as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission consistent with this Act, as it may deem fit to be necessary or expedient, or
- (b) give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties that may arise in giving effect to the provisions of this Act, or
- (c) make such other temporary provisions for the purpose of removing any such difficulties as it may deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act.

(2) All orders made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature for fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such orders or resolves that any such order should not be made, such order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act, or as to whether any person has been duly appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter may be referred to the Chancellor and shall be so referred if the Vice-Chancellor and any ten members of the Board so require. The Chancellor shall, after taking such advice from the State Government as he or she deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to promote education, research and dissemination of knowledge in the field of physical education and sports and to comply with the announcement made by the Hon'ble Chief Minister in the budget session 2024-25, it is proposed to establish a new Sports University at Jaipur in the name of the Maharana Pratap Sports University, Jaipur .

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,

Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(22) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025

प्रेषक: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill seeks to establish “The Maharana Pratap Sports University” at Jaipur. Non-recurring and recurring expenditure involved in the establishment of the University has been computed.

It is estimated that establishment of the University will involve non-recurring expenditure of rupees 101.50 crore and recurring expenditure of rupees 5.50 crore per annum which may grow with time.

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 45, 47 and 49 of the Bill, if enacted, shall empower the University or its Authorities to make Statutes, Ordinances and Regulations with respect to the matters enumerated in the said clauses.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to establish and incorporate a Sports University at Jaipur in the State of Rajasthan for promotion of Sports, Physical Education and to achieve aims and objects of National Education Policy; and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.